239

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी-3120/2018/मुरैना/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /2018/पुनरीक्षण

श्री सुनील भारद्वाज अभि०
द्वारा आज दि० 21-5-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 28-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 21-5-18

Noted
28/5/18
Ad.
(सुनील भारद्वाज एड.)

1. आरती पत्नी अनिल कुमार
2. शीलादेवी पत्नी रामदत्त दोनो जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम तोरकुंभ तहसील पोरसा जिला मुरैना।

———पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. श्री भगवान पुत्र रामरतन जाति ब्राम्हण निवासी तोरकुंभ तहसील पोरसा जिला मुरैना।

———गैर पुनरीक्षणकर्ता

2. रामरती पुत्री माताप्रसाद पत्नी रामबाबू
3. रामकटोरी पुत्री मातप्रसाद पत्नी जगन्नाथ प्रसाद दोनो जाति ब्राम्हण निवासीगण कच्छपुरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना।

—— पूरक गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2018 न्यायालय माननीय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना, राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 40/2013–14 अ.मा. व उन्वान आरती व अन्य बनाम श्री भगवान व अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण

1. यह कि ग्राम तोरकुंभ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 222/1 रकवा 12 विस्वा, सर्वे क्रमांक 332 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा, सर्वे क्रमांक 429 रकवा 1 वीघा 14 विस्वा के नवीन भूमि सर्वे क्रमांक 245, 263, 306 व 443 कायम किये गये तथा उसकी मूल भूमिस्वामिनी पूरक गैर पुनरीक्षणकर्ता रामरती एवं रामकटोरी पुत्रियां माताप्रसाद थी। [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3120/2018/मुरैना/भू0रा0

आरती आदि विरूद्ध भगवान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 40/अ.मा./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2018 को प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश सत्यापि प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदिका रामरती एवं रामकटोरी के मृत होने के आधार पर आवेदक के पक्ष नामांतरण होने का उल्लेख है। किन्तु अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष है कि दोनों पूरक गैर पुनरीक्षणकर्ता जीवित हैं। निगरानीकर्ता ने उन्हें स्वयं पक्षकार भी बनाया है। इस कारण विरोधाभाष उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-9-2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में एक माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। जबकि अपर आयुक्त ने आवेदक अभिभाषक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में एक दिन का भी विलम्ब क्षमा न किये जाने बावत कई न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य एवं प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	